न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/3291/2004/बांसवाडा

शंकरदान पुत्र करणीदान जाति चारण निवासी चिरोला तहसील घाटोल जिला बांसवाडा।

....अपीलांट/प्रतिवादी

बनाम

1. इन्द्रदान पुत्र करणीदान जाति चारण निवासी चिरोला तहसील घाटोल जिला बांसवाडा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार घाटोल जिला बांसवाडा

....रेस्पोन्डेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

श्रीमति ज्योति पारीक, अधिवक्ता, अपीलांट।
श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ।

निर्णय

दिनांकः– 06–11–2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा अपील सं. 101/2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18–06–2004 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी ने एक वाद बाबत

विभाजन ग्राम चिरोला पटवारी हल्का भूवासा तहसील घाटोल स्थित वाद पत्र में संलिप्त विवादित आराजियात कुल किता 46 कुल रकबा 74 बीघा 11 बिस्वा भूमि के संबंध में अपीलार्थी व राज्य सरकार प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया। जिसमें वादी ने यह अनुतोष चाहा कि उक्त विवादित आराजियात का वादी व प्रतिवादीगण के बीच हिस्सा बराबर–बराबर विभाजन की डिक्री जारी की जावे व डिक्री के मुताबिक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश फरमावे व उसी अनुपात में लगान का बंटवारा करना फरमावे तथा प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध यह आदेश जारी फरमावे कि मौके का डिमारकेशन कर राजस्व रेकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के अलग–अलग खाते कायम किये जावे। उक्त वाद पत्र का अपीलार्थी ने अपना जवाबदावा पेश कर वाद के कथनों को अस्वीकार कर कहा कि वादी आलोच्य वाद में किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। दावे व जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय ने मामले में अनुतोष सहित 4 विवाद्यक कायम किए। कालान्तर में विचारण न्यायालय ने कायम किए समस्त विवाद्यक को उपलब्ध रेकार्ड तथा गवाहान के बयानात के आधार पर पृथक–पृथक विरचित करते हुए आज्ञा दिनांक 30–4–2001 पारित करते हुए वादी के वाद को साबित नहीं होना पाते हुए खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 18–06–2004 से स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–04–2001 को निरस्त करते हुए विवादित भूमि खाता संख्या 85 कुल किता 46 रकबा 74 बीघा 11 बिस्वा ग्राम चिरोला तहसील घाटोल का वादी व प्रतिवादी को 1/2–1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया। साथ ही इस आशय की प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार घाटोल को कमीश्नर नियुक्त करते हुए निर्देशित किया कि मौके पर जाकर दोनों पक्षों में विवादित भूमि का राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 के अनुसार बंटवारा करें और फर्द बंटवारा संबंधित उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक

18–06–2004 से व्यथित होकर अपीलार्थी/प्रतिवादी ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट/प्रतिवादी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि अपीलार्थी ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 05–08–1960 से 54 बीघा 11 बिस्वा भूमि करणीदान से क्रय की है तथा क्रय उपरान्त वह आराजी का रेकार्डेड खातेदार है। अतः इस भूमि का नियमानुसार बंटवारा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार वादी आलोच्य भूमि के अतिरिक्ति शेष रहीं भूमि में से ही केवल मात्र बंटवारा कराने का अधिकारी रह जाता है। उक्त विक्रय विलेख को नुमाइशी मानना राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। आगे बताया कि विवादित भूमि करणीदान की निजी भूमि थी न कि पैतृक। अतः निजी भूमि होने के कारण वह नियमानुसार ऐसी भूमि का अन्तरण करने की अधिकारिता रखता है। आगे कहा कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने बिना राजस्व रेकार्ड के विवादित भूमि को करणीदान के पिता की मानकर तथा करणीदान की स्वअर्जित नहीं मानकर पैतृक भूमि होना निर्धारित किया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। उनका आगे कहना है कि मामले में विचारण न्यायालय ने 4 विवाद्यक कायम कर प्रत्येक विवाद्यक को अलग–अलग उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर विरचित किया था, जबकि प्रथम अपीलीय न्यायलय ने केवल मात्र 3 विवाद्यक कायम कर आराजी को पैतृक सम्पत्ति मानकर आक्षेपित निर्णय पारित किया है, जो कि विधि सम्मत नहीं है। यहीं नहीं प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील में भूमि पैतृक थी अथवा स्वअर्जित, इस बाबत किसी प्रकार का विवाद्यक का निर्माण नहीं किया है। उनका तर्क है कि विधायिका की भावना के अनुसार यदि प्रथम अपीलीय न्यायालय किसी प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा निर्मित्त तनकियातें से असहमत है तो ऐसी स्थिति में कायम किए गए प्रत्येक विवाद्यक का अलग–अलग निष्कर्ष दिया जाना अपेक्षित है। उनका यह भी

तर्क है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा पेश जवाबदावे में किए गए अंकन को नजरन्दाज किया है। उनका तर्क है कि मामले में विचारण न्यायालय ने उपलब्ध रेकार्ड का विधिक परिवेश में समग्र परीक्षण करने के बाद निर्णय पारित किया है, जो कि विधि सम्मत है। ऐसे विधि सम्मत आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पेश अपील में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सरसरी तौर पर आक्षेपित निर्णय पारित किया है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील को स्वीकार कर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 18-06-2004 को निरस्त करते हुए उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30-04-2001 को यथावत बहाल रखे जाने का निवेदन किया।

5. इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत द्वितीय अपील का विरोध करते हुए मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का समर्थन किया है। उनका कहना है कि उपलब्ध समस्त रेकार्ड से विवादित रकबा प्रथम दृष्टया पैतृक भूमि होना निर्धारित होता है। आगे बताया कि विचारण न्यायालय ने विवादित भूमि को करणीदान की व्यक्तिगत स्वअर्जित भूमि मानकर भूल की है। उपलब्ध रेकार्ड से यह परिलक्षित होता है कि यह भूमि करणीदान की पुश्तैनी भूमि थी तथा भूमि करणीदान के पिता मेहताबदान वल्द हरदान चारण की माफी की होकर खुदकाश्त की भूमि थी। अतः सम्पूर्ण रकबा माफी की होने के कारण करणीदान की स्वअर्जित भूमि नहीं मानी जा सकती है। यही नहीं सम्पूर्ण रकबे पर विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण का कब्जाकाश्त मानकर गलती की है। उनका आगे कहना है कि आलोच्य विक्रय पत्र नुमाईशी है क्योंकि करणीदान अपने अकेले एक पुत्र के हक में आराजी का नियमानुसार अन्तरण नहीं कर सकता था। उनका तर्क है कि दावा दायरी के समय आराजी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त खातेदारी की भूमि थी, ऐसी स्थिति में राजस्व कार्मिकों को कोई भू निर्धारण करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि मामले में प्रतिवादीगण का कोई प्रतिवाद पत्र नहीं था। आगे बताया कि वादी का वाद विक्रय पत्र की वैधता का परीक्षण के बाबत नहीं था। उनका आगे तर्क है कि भूमि पैतृक होने के कारण वादी व प्रतिवादी दोनों का बराबर हिस्सा तय होता है। उनका आगे

यह भी तर्क है कि तथाकथित विक्रय पत्र में खसरा नम्बरान का उल्लेख नहीं है तथा जो 10 खेत वादी के अकेले के थे, उन्हें भी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिए गए। उक्त समस्त परिवेश में आक्षेपित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि के विपरीत होने के कारण उसे खारिज करने में अपीलीय न्यायालय ने किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है। उक्त तथ्यात्मक व विधिक परिवेश में मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया आक्षेपित निर्णय व डिक्री विधि के प्रावधानान्तर्गत होने के कारण यथावत रखे जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को खारिज कर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया है।

6. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र रेकार्ड का गहन परीक्षण, दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मूल्यांकन किया।

7. दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री तथा उपलब्ध पत्रावलियों के आद्योपान्त अवलोकन से प्रथम दृष्टया विवादित आराजियात पैतृक सम्पत्ति होना निर्धारित होता है। रेकार्ड से यह स्पष्ट है कि विवादित रकबा कुल किता 46 कुल रकबा 74 बीघा 11 बिस्वा भूमि करणीदान के खाते में अंकित थी, जो कि पक्षकारान के पिता है, यह तथ्य मामले में निष्पादित नामान्तरकरण संख्या 53 दिनांक 12-05-1970 से प्रमाणित होता है। उक्त नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 5 में विवादित रकबा करणीदान पिता मेहताबदान चारण साकिन देह के नाम का अंकन है। यह भी प्रकट होता है कि विवादित आराजी करणीदान के खाते में दर्ज थी जो कि विरासत से शंकरदान व इन्द्रदान के नाम स्वीकृत हुई। उक्त नामान्तरकरण की समस्त कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित की गई है। रेकार्ड में उपलब्ध प्रदर्श-3 जमाबंदी सम्वत 2045-2048 में प्रश्नगत रकबा शंकरदान, इन्द्रदान पिता करणीदान के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज हुई है। अर्थात वादी के दावा दायरी की तिथि को प्रश्नगत रकबा संयुक्त खाते में दर्ज होना प्रमाणित

है। हमारे द्वारा मूल वाद में प्रतिवादी द्वारा पेश जवाबदावे का अध्ययन किया है, जिसके अनुसार जवाबदावे में अंकन है कि दिनांक 05–08–1960 को करणीदान ने उक्त भूमि में से 54 बीघा भूमि अकेले शंकरदान के पक्ष में विक्रय कर दी है, अतः वादी को इस भूमि का विभाजन कराने का अधिकार नहीं है। लेकिन इस बाबत प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार के अनुतोष का अंकन नहीं किया गया है। समस्त प्रकरण का विधायिका की भावना के अनुसार समग्र रूप से परीक्षण करने पर यह पाया जाता है कि मामले में निष्पादित विक्रय विलेख के आधार पर शकंरदान के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण की कार्यवाही का बिन्दु निर्धारण योग्य नहीं था। वादी के विभाजन के वाद को साबित नहीं होने के आधार पर विचारण न्यायालय ने केवल मात्र खारिज किया है, फिर भी राजस्व कार्मिकों द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से आलोच्य नामान्तरकरण की कार्यवाही सम्पादित कर अनियमितता की है। अर्थात बिना किसी सक्षम अधिकारी की आज्ञा/आदेश के विवादित आराजियात बाबत स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 53 जो कि विधिक प्रावधानों के विपरीत स्वीकृत किए जाने की स्थिति में अपास्त किए जाने योग्य है।

8. विवादित आरायिजात बाबत निष्पादित तथाकथित विक्रय पत्र नुमाईशी मात्र है, इसी कारण ग्राम पंचायत ने भूमि का खाता विक्रय पत्र के आधार पर न खोलकर उत्तराधिकार के आधार पर कार्यवाही की है, जो कि विधि सम्मत है। उपलब्ध समस्त रेकार्ड से यह परिलक्षित होता है कि विवादित आराजियात करणीदान की स्वअर्जित भूमि नहीं होने के कारण उसे नियमानुसार आलोच्य विक्रय पत्र निष्पादित करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं थी तथा केवल मात्र अपने दो पुत्रों में से बडे पुत्र के हक में ऐसे विक्रय पत्र को निष्पादित करना संशय से परे नहीं है। हमारे समक्ष स्थिति यह प्रकट होती है कि चूँकि विवादित रकबा प्रथम दृष्टया पैतृक भूमि होना साबित है तथा प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित तथाकथित विक्रय पत्र केवल मात्र नुमाईशी सिद्ध है तथा न ही करणीदान को अपने केवल मात्र एक पुत्र के हक में ऐसे विक्रय पत्र को निष्पादित कराने का अधिकार था। ऐसी स्थिति में करणीदान के देहान्त के बाद ग्राम पंचायत ने रेकार्ड में दोनों पक्षों का जो बराबर हिस्सा दर्ज किया है, वह विधिवत है और वादी प्रश्नगत सम्पूर्ण रकबे के 1/2 हिस्से की

घोषणा कराने का विधिवत अधिकारी है। उक्त समस्त सम्प्रेषण के बाद यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वादी के वाद में विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय व डिक्री उपलब्ध रेकार्ड व विधायिका की भावना के विपरीत होने के कारण उसे अपास्त करते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित कर वादी के वाद को स्वीकार करने के निष्कर्ष में किसी विधि का उल्लंघन अथवा अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया जाना नहीं पाया जाता है। अतः हमारी विनम्र राय में प्रस्तुत द्वितीय अपील में विधि का कोई उपचार उपलब्ध नहीं होने के कारण इसे सारहीन होना घोषित करते हुए अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। स्थिति यह प्रकट होती है कि अपीलार्थी ने असंगत आधारों को अपील मीमों में अभिवचित करते हुए पेश की है, जिनसे उन्हें किसी प्रकार की कोई सहायता प्राप्त नहीं हो सकती है। यहीं नहीं मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री को अन्यथा सिद्ध करने बाबत अपीलार्थी ने किन्हीं नवीन तथ्यों को हमारे समक्ष प्रकट नहीं किया है। सारांशतः प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

9. परिणामतः प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होना प्रकट होने के कारण खारिज की जाती है तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री 18-06-2004 को यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य